भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3755

16.03.2026 को उत्तर के लिए

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

3755. श्री दुलू महतो:
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः
श्री खगेन मुर्मुः
श्रीमती संजना जाटवः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अन्तर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) प्रावधानों के कार्यान्वयन की राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या स्थिति है;

(ख) ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की राजस्थान के जिलों, विशेषकर भरतपुर, सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और उनके अनुपालन का क्या स्तर है;

(ग) इन विनियमों के अन्तर्गत वर्ष-वार कितना कचरा एकत्रित, प्रसंस्कृत या पुनर्चक्रित किया गया है; और

(घ) क्या इनके गैर-अनुपालन के संबंध में कोई प्रवर्तन कार्रवाई आरंभ की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, जिला-वार और उद्योग-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): प्लास्टिक पैकिंग पर केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल के अनुसार, कुल पंजीकृत उत्पादकों ,आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) की कुल संख्या 59839 हैं और पंजीकृत कुल प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधकों की संख्या 3005 हैं। पंजीकृत पीआईबीओ का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल पर कुल उत्पादक और पुनर्चक्रणकर्ता क्रमशः 4280 और 529 हैं। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पंजीकृत उत्पादकों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक- II में दिया गया है। ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल पर कुल पंजीकृत उत्पादक और पुनर्चक्रणकर्ता क्रमशः 11569 और 388 हैं। ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पंजीकृत उत्पादकों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक- III में दिया गया है।

विनिर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों की वर्षवार अनुपालन स्थिति नीचे दी गई है:

	प्लास्टिक पैकिंग अपशिष्ट		ई-अपशिष्ट		बैटरी अपशिष्ट	
	पंजीकृत पीआईबीओ	दायर की गई वार्षिक रिपोर्ट	पंजीकृत उत्पादक	दायर की गई वार्षिक रिपोर्ट	पंजीकृत उत्पादक	दायर की गई वार्षिक रिपोर्ट
2022-23	12616	9348	नियम 01.04.2023 से प्रभावी हैं		3319	1745
2023-24	37607	20229	4825	3445	3319	1523
2024-25	48606	25252	8076	4491	3770	1666

* आज की तारीख के अनुसार

(ग): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संसाधित या पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट की मात्रा का वर्षवार विवरण नीचे दिया गय है:

वित्तीय वर्ष	प्लास्टिक पैकिंग अपशिष्ट (एमटी)	ई-अपशिष्ट (एमटी)	बैटरी अपशिष्ट (लाख मीट्रिक टन)
2022-23	1,22,406	नियम 01.04.2023 से प्रभावी हैं	32.7
2023-24	42,10,661	7,78,205	24.2
2024-25	1,47,57,337	11,59,228	25.14

(घ) नियमों के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण, जैसा भी लागू हो, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिदेशित हैं, जिसमें इन नियमों का अनुपालन न करने के लिए यथापेक्षित कार्रवाई करना भी शामिल है।

अनुलग्नक-।

प्लास्टिक पैकिंग पर केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) और प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधकों (पीडब्ल्यूपी) का राज्यवार विवरण

राज्य	विनिर्माता	आयातकर्ता	ब्रांड-मालिक	पीडब्ल्यूपी
सीपीसीबी*	19	31396	2481	उपलब्ध नहीं
अण्डमान और निकोबार दीप समूह	0	2	1	0
आंध्र प्रदेश	159	169	67	63
अरुणाचल प्रदेश	1	7	0	0
असम	126	104	33	23
बिहार	59	79	12	18
चंडीगढ़	9	16	2	3
छत्तीसगढ	48	69	15	14
दमन और दीप	298	228	24	56
दिल्ली	345	1887	33	401
गोवा	47	73	10	10
गुजरात	696	2587	185	687
हरियाणा	301	926	64	70
हिमाचल प्रदेश	288	112	53	44
जम्मू और कश्मीर	113	58	14	33
झारखंड	26	108	13	8
कर्नाटक	420	924	158	176
केरल	148	248	40	35
लद्दाख	0	1	2	0
लक्षद्वीप	0	1	0	0
मध्य प्रदेश	266	307	95	133
महाराष्ट्र	715	5958	147	372
मणिपुर	2	3	2	0
मेघालय	3	11	6	6
मिजोरम	0	4	0	0
नागालैंड	0	2	0	1
उड़ीसा	30	97	10	17
पांडिचेरी	81	10	9	21
पंजाब	181	720	31	63

राजस्थान	298	471	61	136
सिक्किम	6	11	3	0
तमिलनाडु	278	908	144	114
तेलंगाना	201	386	43	81
त्रिपुरा	6	17	1	0
उत्तर प्रदेश	460	930	75	254
उत्तराखंड	312	87	97	124
पश्चिम बंगाल	201	1838	42	42

* यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित होता है तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीआईबीओ को पंजीकृत करता है।

अनुलग्नक-II

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों का राज्यवार विवरण

राज्य	पंजीकृत विनिर्माता
आंध्र प्रदेश	74
असम	7
बिहार	9
चंडीगढ़	9
छत्तीसगढ़	15
दादरा और नगर हवेली	3
दमन और दीव	8
दिल्ली	700
गोवा	10
गुजरात	268
हरियाणा	438
हिमाचल प्रदेश	25
जम्मू और कश्मीर	2
झारखंड	9
कर्नाटक	397
केरल	61
मध्य प्रदेश	66
महाराष्ट्र	1022
उड़ीसा	16
पांडिचेरी	10
पंजाब	53
राजस्थान	90
तमिलनाडु	313
तेलंगाना	96
उत्तर प्रदेश	324
उत्तराखंड	28
पश्चिम बंगाल	227

अनुलग्नक-III

ईपीआर पोर्टल ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर पंजीकृत उत्पादकों का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पंजीकृत उत्पादकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	92
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	33
बिहार	19
चण्डीगढ़	22
छत्तीसगढ़	41
दादरा और नगर हवेली	21
दमन और दीव	8
दिल्ली	1831
गोवा	25
गुजरात	807
हरियाणा	935
हिमाचल प्रदेश	46
जम्मू और कश्मीर	14
झारखंड	18
कर्नाटक	1151
केरल	195
मध्य प्रदेश	112
महाराष्ट्र	2799
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिज़ोरम	1
नागालैंड	1
ओडिशा	49
पंजाब	160
राजस्थान	225
तमिलनाडु	1252
तेलंगाना	329
त्रिपुरा	1
पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	12
उत्तर प्रदेश	764
उत्तराखंड	49
पश्चिम बंगाल	544
